

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016

आवश्यक सूचना

संख्या :-3654

राँची, दिनांक-18.06.2019.

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा धनबाद जिला के हिन्दी विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक 06.02.2017 से 25.04.2017 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे जिनमें वैध पाये गये अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 29.10.2017, 12.11.2017, 19.11.2017, 25.11.2018, 26.11.2017 तथा 02.12.2017 को ली गई। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक को किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 09.02.2018 को पुनः आमंत्रित किया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तदहेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्तें विवरणिका की कंडिका 8 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

(i) ऑनलाईन आवेदन में क्षैतिज आरक्षण तथा अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट- III में है।

(ii) अनुसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।"

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है।

4. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्तें निम्नवत् निर्धारित है :-

- क) आरक्षण:- यथा विवरणिका की कंडिका- 8 में निहित
- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 - (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।
 - (III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-
 - (i) जाति प्रमाण पत्र- जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
 - (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 - (iii) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं यह प्रमाण पत्र 02.06.2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

- ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित है जो निम्नवत् है :-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	4
1	निम्नांकित विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक- हिन्दी	संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

- (i) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।

- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद— (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
- (iii) जैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति/क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड/क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
- (iv) शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (v) जैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित:—
न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी।
- (क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।
- (ख) अधिकतम आयु सीमा :—

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित/सामान्य—	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पत्र से निर्गत होना चाहिए। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—V) में मान्य होगा।

- घ) सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वांछित अनुभव विवरणिका की कंडिका-5 (iv) में अंकित है जो निम्नवत् है:-
- (iv) झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त हैं, वे कर्णांकित पदो (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।

दिनांक 04.09.2018 को प्रकाशित 'आवश्यक सूचना' के माध्यम से संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम हेतु के क्रम में झारखण्ड सरकार के प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रकाशित किया गया है

5. उपर्युक्त शर्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित है:-

क्र. स.	नाम/अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
जिला-धनबाद		विषय-हिन्दी-संशोधित		
1	GULJAR BAHADUR MAURY, 15127163105, 20-Apr-1982	प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा दो अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए।		दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	SHAIENDRA PRATAP SINGH, 30117275418, 01-May-1983			
3	SHASHI BHUSHAN SINGH, 20115198745, 01-Jan-1977			
4	BAL MUKUND CHAURASIYA, 19114186268, 01-Jan-1990			
5	RAKESH KUMAR PANDEY, 11130123596, 16-Dec-1984			
6	RANJESH KUMAR GUPTA, 16121167479, 05-Dec-1988			

7	PRAMOD KUMAR MAURYA, 11118116513, 20-Jun-1977			
8	YASHODA KUMARI, 22114206716, 02-Feb-1985			
9	SHAMBHU SHARAN PRASAD, 28125240102, 01-Mar-1983			
10	AMARJIT PASWAN, 31116280951, 08-Jun-1986			
11	MADHU RANI GUPTA, 16134173079, 04-May-1984			
12	REKHA KUMARI BARNWAL, 28112233641, 01-Jan-1980			
13	SANGITA CHOUDHARY, 32118284174, 11-Nov-1985			
14	GYANI KUMARI, 24123218021, 21-Jan-1991			
15	RITA RAJWAR, 32116283472, 24-Jul-1988			
16	KUMARI TANUJA, 16128170254, 05-Oct-1988			
17	SWETA KUMARI SINGH, 31116281076, 02-Feb-1981	<p>प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय हिन्दी के स्थान पर प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन किया गया है तदनुसार अभ्यर्थी को दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा SSLNT महिला महाविद्यालय धनबाद के प्राचार्य द्वारा निर्गत एक नोट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई जिसमें अंकित किया गया है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्नातक साहित्यिक हिन्दी के स्नातक के समकक्ष हैं।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

18	<p>SAVITRI PATEL, 17115179193, 15-Jul-1981</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 10.01.2019 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 19.03.2007 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत, दिनांक 19.09.2011 को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत, दिनांक 07.01.2019 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथम दो प्रमाण पत्रों में क्रीमी लेयर स्पष्ट नहीं है तथा तृतीय जाति प्रमाण पत्र आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 के बाद निर्गत हुआ है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र एवं दिनांक 15.01.2019 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भी समर्पित किया गया।</p>	<p>आवेदन में किये गये आरक्षण सम्बन्धी दावे के समर्थन में आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 तक निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 (क) के आलोक में आवेदक की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है।</p>
19	<p>PRITI KUMARI, 16120167179, 25-Jun-1979</p>	<p>प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय हिन्दी के स्थान पर प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन किया गया है तदनुसार अभ्यर्थी को दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा SSLNT महिला महाविद्यालय धनबाद के प्राचार्य द्वारा निर्गत एक नोट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई जिसमें अंकित किया गया है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्नातक साहित्यिक हिन्दी के स्नातक के समकक्ष हैं।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
20	<p>RINA KUMARI, 31116280771, 01-Jan-1986</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 10.01.2019 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 12.06.2009 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत, दिनांक 16.12.2017 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथम जाति प्रमाण पत्र में गैर क्रीमी लेयर स्पष्ट नहीं है तथा द्वितीय जाति प्रमाण पत्र आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 के बाद निर्गत हुआ है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों को पुनः प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकार किया गया कि दिनांक 16.12.2017 को गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण निर्गत हुआ है।</p>	<p>आवेदन में किये गये आरक्षण सम्बन्धी दावे के समर्थन में आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 तक निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 (क) के आलोक में आवेदक की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है।</p>

21	<p>VINEETA PRASAD, 16118166390, 29-Nov-1981</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से पुनः वही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 27.03.2019 को दूरभाष पर सूचना दी गई कि पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
22	<p>NUTAN KUMARI, 26117224560, 15-Mar-1981</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाय।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
23	<p>SUNITA KUMARI, 31115279689, 05-Jul-1987</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I काटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 10.01.2019 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में भूलवश पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि का दावा किया गया है।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
24	<p>SWARAN REKHA, 20117199598, 05-Aug-1978</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आयोग के पत्रांक 2836 दिनांक 11.03.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया तथा 07.06.2019 को दूरभाष पर विवाह के आधार पर झारखण्ड राज्य में आव्रजित होने की सूचना दी गई है।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>

25	KAMALA RAJAK, 16138174420, 17-Nov-1984	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाय।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
26	PALLAVI KUMARI, 28151253723, 20-Jul-1985	दिनांक-10.01.2019 को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 3082 दिनांक-01.04.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना स्वीकार किया गया है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
27	REETA KUMARI, 16115164899, 20-Dec-1987	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि विवरणिका के परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में मान्य स्तर का जाति प्रमाण पत्र उनके द्वारा समर्पित किया गया है।	Civil Appeal NO - 8425/2013 Ranjana Kumari Vs Uttrakhand State & Ors. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आधार पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक 235 दिनांक 10.01.2019 के प्रावधानानुसार अन्य राज्यों की झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आग्रजित महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (क) (v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
28	POONAM DEVI, 19132193976, 05-Mar-1987	अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I काटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। आयोग के पत्रांक 3083 दिनांक 01.04.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा उक्त पत्र का कार्य उत्तर नहीं दिया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

29	MD AFTAB ALAM, 28120237876, 16-Jan-1984	दिनांक-10.01.2019 को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 560 दिनांक-10.01.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा उक्त पत्र का कार्ड उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
30	CHANCHALA RANI, 28128241156, 25-Oct-1982	अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I काटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। आयोग के पत्रांक 530 दिनांक 10.01.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में भूलवश पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि का दावा किया गया है।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
31	NITU KUMARI, 11129123128, 25-Jul-1994	दिनांक-09.02.2019 को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 2469 दिनांक-09.02.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि बी.एड. का विषय इतिहास एवं हिन्दी है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
32	ASHWINI BAURI, 16127170108 07-Oct-1988	दिनांक-10.01.2019 को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार दिनांक-17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि वे वाणिज्य स्नातक हैं तथा अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी 45 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हैं।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
33	JAGDISH CHANDRA, 25112218756, 02-Oct-1982	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 2844 दिनांक 12.03.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा उक्त पत्र का कार्ड उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

34	AMITA AMBEDKAR, 26115223749, 20-Mar-1991	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 10.01.2019 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 17.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.11.2018 को अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 के बाद निर्गत है।	आवेदन में किये गये आरक्षण सम्बन्धी दावे के समर्थन में आनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि 25.04.2017 तक निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 (क) के आलोक में आवेदक की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है।
35	SANT PRASAD, 16134173178, 01-Aug-1974	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 3191 दिनांक 09.04.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि स्नातक स्तर पर उनका विषय हिन्दी अनिवार्य विषय रहा है तथा इसमें उन्होंने 40 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हैं।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
हिन्दी (कार्यरत शिक्षक)				
1	BALWANT SINGH, 24122217588, 05-Sep-1979	प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा दो अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए।		दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	AMIT KUMAR, 26115223930, 01-Mar-1979			
3	ANJALI KUMARI, 22116208106, 16-May-1982			
4	GYANPATI KUMARI, 16133172948, 05-Oct-1969			
5	USHA RANA, 15128163398, 06-Mar-1975			
6	PRITI PAWANKUMAR JHA, 24119216419, 24-Jan-1980			

7	PRIYA KUMARI, 15125162188, 23-Dec-1991	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी झारखण्ड राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हैं तदनुसार उन्हे पक्ष रखने का अवसर आयोग के पत्रांक 2848 दिनांक 12.03.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा कारणपृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (घ) (iv) में अंकित अनुभव प्रमाण पत्र धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधी भर्ती की अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
8	VINITA KUMARI, 11121118684, 01-Mar-1981	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित साहित्य अलंकार प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से उत्तीर्ण हैं। तदनुसार आयोग के पत्रांक 1693 दिनांक 23.01.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा कारणपृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4786 दिनांक 01.06.2015 एवं पत्रांक 1863 दिनांक 26.02.2015 के आलोक में अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
9	SARANJEET KAUR, 13120134469, 05-Jan-1986	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तदनुसार आयोग पत्रांक 2846 दिनांक 12.03.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा कारणपृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) के स्तम्भ 3 में अंकित शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
10	ALKA RANI , 17114178270, 30-Nov-1975	प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी झारखण्ड राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हैं तदनुसार आयोग के पत्रांक 2847 दिनांक 12.03.2019 द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा कारणपृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (घ) (iv) में अंकित अनुभव प्रमाण पत्र धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधी भर्ती की अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

ह0/—

परीक्षा नियंत्रक।